

क्रमांक: अ.वि.प्रा./प.३/निर्माण शाखा/2023/M-812/4372 दिनांक: 16.08.23

श्री जुम्मा पुत्र श्री छीतर चिता एवं
श्रीमती सुरमा पत्नी श्री जुम्मा
निवासी- 2365/55 बडी हताई के आगे,
चौरसियावास अजमेर।

विषय:- राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 3731, 5675/5214, 5677/3730, 5678/3730, 5799/3732, 5672/3728 कुल क्षेत्रफल 7100.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना के तहत ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 3731, 5675/5214, 5677/3730, 5678/3730, 5799/3732, 5672/3728 कुल क्षेत्रफल 7100.00 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2023 वीं बैठक दिनांक 16.03.2022 में प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले-आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर पंधुचमार्ग की चौड़ाई 60 मी. रखे जाने हेतु वर्तमान सड़क मध्य से 30 मी. दूरी तक क्षेत्रफल 1602.67 वर्गमी. भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा एवं उक्त भूमि को सदैव खुला रखा जाना अनिवार्य होगा।
2. इसी प्रकार से आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा की ओर राजस्व मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर रखे जाने हेतु वर्तमान सड़क मध्य से 12 मीटर दूरी तक भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा एवं उक्त भूमि को सदैव खुला रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
4. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
5. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
6. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे।
7. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधान, अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टों के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।
8. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
9. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।

स्वीकृत-ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

Sd/-

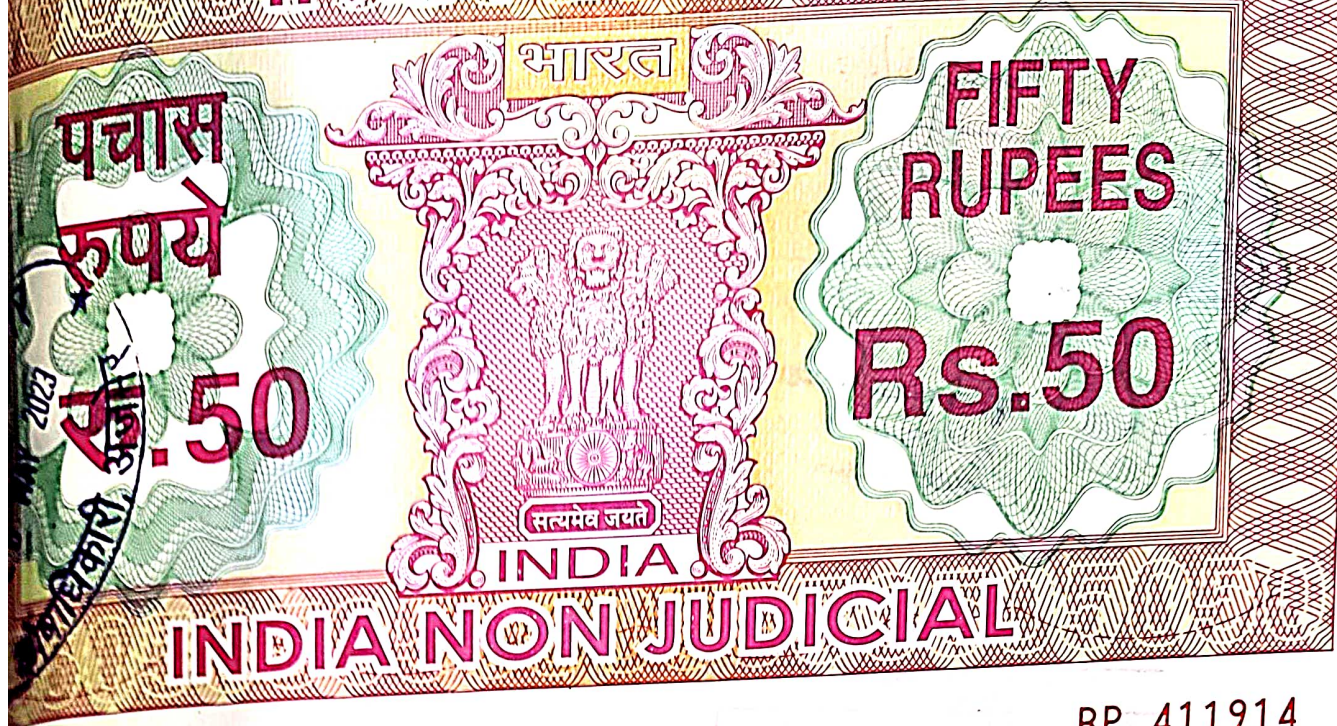
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अविप्रा./प.3/नियोजन शाखा/2023/म.812/4371-373 दिनांक : 16.10.23
प्रतिलिपि:-

5. उपायुक्त (उत्तर,) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली के साथ ले-आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

भारतीय गैर न्यायिक



BP 411914

RAJASTHAN

समर्पण पत्र

विकास अधिकरण,

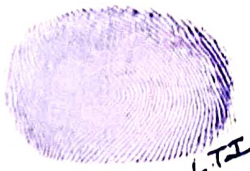
कार्यालय में ले-आउट प्लान " श्री जुम्मा एवं श्रीमती सुरमा " के बाबत आंतरिक विकास कार्य हेतु
अंकित 12.5 प्रतिशत भूखण्डों की लिस्ट।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न प्रकार निवेदन है कि ले आउट प्लान में कुल क्षेत्रफल 4388.21 वर्गमीटर है
जिसका 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल 548.53 वर्गमीटर होता है जिसमें निचे दी गई सारणी में उल्लेखित भूखण्डों को
अंकित किया गया है जिसकी सारणी इस प्रकार है -

भूखण्ड संख्या	वर्गमीटर
17	78.63
18	101.31
26	408.40

ATTESTED

RAMJI LAL ARORA)
NOTARY PUBLIC, AJMER
Regd. No.- 810



Swind

(Handwritten signature)

राजस्थान स्टांग्ग अधिनियम १९९८ के अन्तर्गत
स्टांग्ग राशि पर प्रभातिर अधिभार

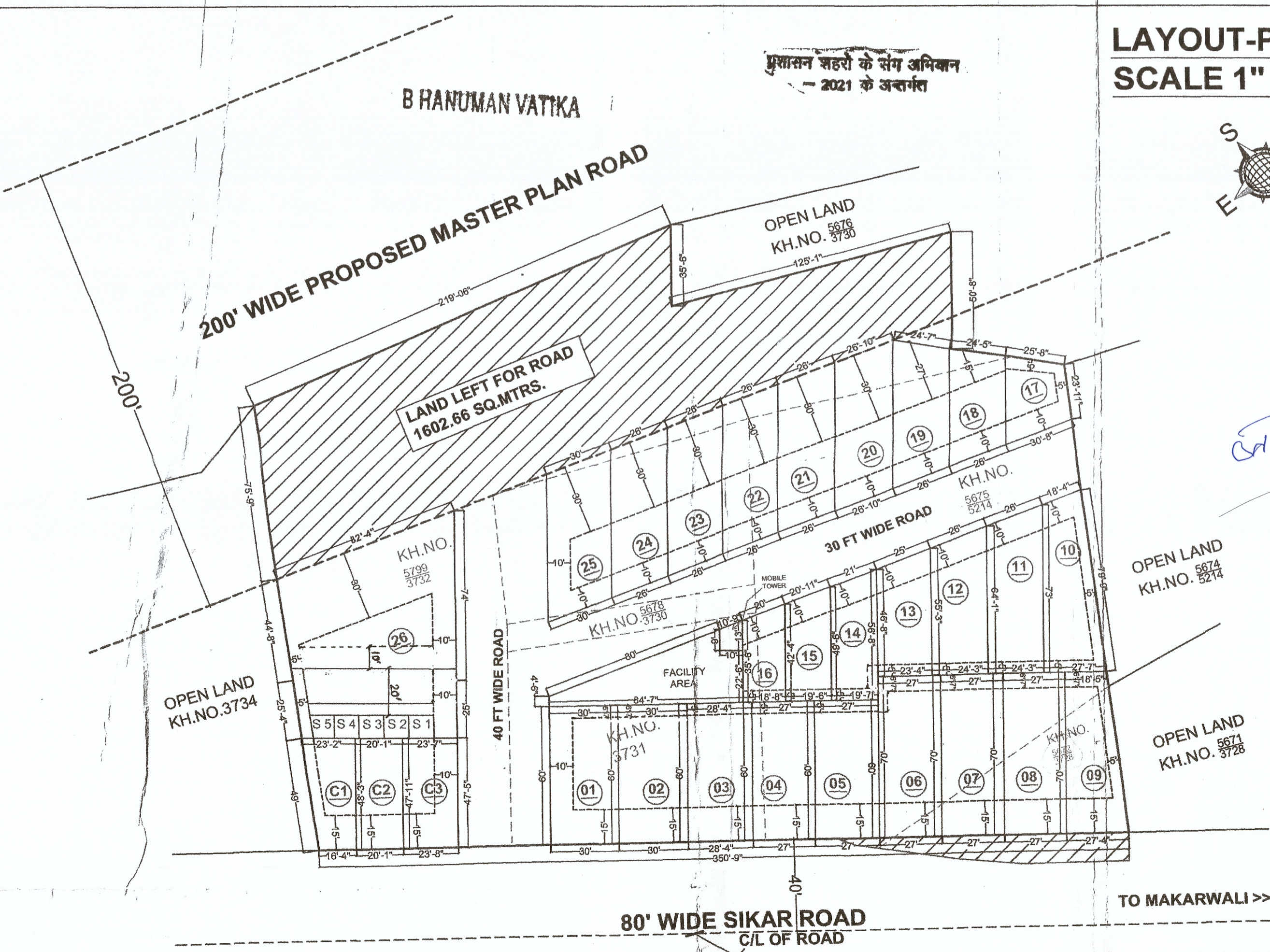
१. आधार नूत अवतरवत सुविधाओ हेतु
धारा (३ क) - १० % रुपये

२. गन्ध और कस्त के संरक्षण और संरक्षण हेतु
धारा (३ ख) - १० % रुपये

कुल राशि:

राजस्थान स्टांग्ग डेपुटि - सुविध कानार पीकाडा
ला. नम्बर १२/८३

LAYOUT-PLAN
SCALE 1" = 40'



NOTE:-
PROPOSED SITE SHOWN IN RED.

TOTAL AREA OF RESIDENTIAL PLOTS	= 3956.56 SQ.MTRS. = 55.72 %
TOTAL AREA OF FACILITY	= 147.03 SQ.MTRS. = 02.07 %
AREA OF MOBILE TOWER	= 10.26 SQ.MTRS. = 00.14 %
TOTAL AREA OF COMMERCIAL	= 283.26 SQ.MTRS. = 03.99 %
TOTAL AREA OF INFORMAL	= 141.32 SQ.MTRS. = 01.99 %
TOTAL AREA OF ROAD	= 2561.57 SQ.MTRS. = 36.09 %
TOTAL AREA OF LAND	= 7100.00 SQ.MTRS. = 100.00 %

90-आवर्तन कमाक 100751
दिनांक 31/12/23 को पालना में राजस्व ग्राम 100751 के अन्तर्गत नक्का 127-35 कमाक 127-35 दिनांक 31/12/23 को पालना में राजस्व ग्राम 100751 के अन्तर्गत नक्का 127-35 कमाक 127-35 किया जा कर पुनर्गठन/संशोधन किया गया।
दिनांक 31/3/23 सहस्रीलवार/गिरदावर/प्रमारी मू-अभिलेख, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

NOTE:
LAYOUT PLAN APPROVED
Vide BPC (LP) 02nd MEETING
OF 2023 DATED: 16.03.2023
TO BE READ WITH ORDER NO.
ADA/P.12/NILMAN/2023/M812/4372
DATED: 16.10.2023

PARTICULARS	AREA (Sq. Mts.)	PLOT NO. 09	149.69	PLOT NO. 18	101.31	PARTICULARS	AREA (Sq. Mts.)
PLOT NO. 01	167.24	PLOT NO. 10	159.78	PLOT NO. 19	129.66	PLOT NO. C-1	89.03
PLOT NO. 02	167.26	PLOT NO. 11	154.50	PLOT NO. 20	149.36	PLOT NO. C 2	89.64
PLOT NO. 03	157.90	PLOT NO. 12	134.50	PLOT NO. 21	144.98	PLOT NO. C 3	104.58
PLOT NO. 04	150.53	PLOT NO. 13	175.50	PLOT NO. 22	144.98	PLOT NO. S 1	10.03
PLOT NO. 05	150.53	PLOT NO. 14	96.70	PLOT NO. 23	144.98	PLOT NO. S 2	10.03
PLOT NO. 06	175.62	PLOT NO. 15	83.19	PLOT NO. 24	145.01	PLOT NO. S 3	10.03
PLOT NO. 07	175.62	PLOT NO. 16	67.58	PLOT NO. 25	167.42	PLOT NO. S 4	10.03
PLOT NO. 08	175.62	PLOT NO. 17	78.63	PLOT NO. 26	375.85	PLOT NO. S 5	09.29

Ar. SANDEEP GUPTA Approved Architect, CA/2012/55135 108, First Floor, Gaurav Plaza Police Line Circle, Ajmer (Raj.) Mail-arsandeepgjm@gmail.com, 7742772980 ARCHITECT	31/3/23 PATWARI	6/11/23 TEHSILDAR	निदेशक आयोजना अ.वि.प्र.अजमेर DIR. PLANING
APPLICANT	JEN	A.T.P	DY.COMMISSIONER

LAYOUT-PLAN SHOWING LAND OF KH.NO. 3731, 5675, 5677, 5678, 5799, 5672, 5214, 3730, 3730, 3732, 3728 SITUATED AT JANANA HOSPITAL TO MAKARWALI, REV.VILL-MAKARWALI, DISTT- AJMER. BELONGS TO 1. SURMA W/O JUMMA KHAN & 2. JUMMA S/O CHITAR.